

[2007] 1 उम. नि. प. 34

लल्लन चौधरी और अन्य

बनाम

बिहार राज्य और एक अन्य

12 अक्टूबर, 2006

न्यायमूर्ति एच. के. सेमा और न्यायमूर्ति पी. के. बालसुब्रह्मण्यन्

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) - धारा 154 - प्रथम इत्तिला रिपोर्ट - प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्टर किया जाना - पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर मामले को रजिस्टर करने के लिए आबद्धकृत होता है; इस संबंध में सूचना प्रामाणिक और विश्वसनीय ही होनी चाहिए, ऐसी कोई पूर्व शर्त नहीं है।

संविधान, 1950 - अनुच्छेद 21 [सहपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154] - शीघ्र विचारण - शीघ्र न्याय प्रदान किया जाना अथवा शीघ्र विचारण अनुच्छेद 21 की अनिवार्यता है किन्तु जहां घोर अन्याय का मामला अंतर्वलित हो तो मामले की परिस्थितियों और अन्य कारणवश होने वाले विलंब से अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण नहीं होगा।

इस मामले के प्रत्यर्थी द्वारा एक परिवाद (शिकायत) उप प्रभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल किया कि कुछ अभियुक्त विधि विरुद्ध तथा हथियारों से लैस होकर परिवादी (शिकायतकर्ता) के घर घुस गए। उन्होंने वहां लूटपाट की तथा घर में उपस्थित महिला सदस्यों से छेड़खानी भी की। शिकायतकर्ता के इस पर आपत्ति किए जाने पर उसे बुरी तरह पीटा गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 448, 452, 323 और 395 के अधीन किए गए अपराधों का उल्लेख किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उप प्रभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने, जिसके समक्ष परिवाद फाइल किया गया था, वह परिवाद थानाध्यक्ष को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर करने के लिए तथा उसमें अन्वेषण करने के लिए पृष्ठांकित कर दिया था। तथापि संबंधित पुलिस थाने के एस. एच. ओ. ने अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 452/380/323/34 के अधीन मामला रजिस्टर्ड किया। अंततः पुलिस द्वारा आरोप पत्र केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 452/323/34 के

अधीन प्रस्तुत किया गया। इससे स्पष्ट रूप से यह प्रतीत होता है कि परिवाद में दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 448 और 395 के अधीन प्रकटित अपराधों के लिए अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला रजिस्टर्ड नहीं किया गया था और पुलिस द्वारा कानून की पूर्वोक्त धाराओं की बाबत कोई अन्वेषण नहीं किया गया था और इस प्रकार घोर अन्याय कारित किया गया था। पुलिस अधिकारी द्वारा कुछ धाराओं के अधीन मामला रजिस्टर जानबूझकर नहीं किया गया जिससे कि उसका अन्वेषण भी नहीं हो सका। विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा भी इस बात की अवेक्षा नहीं की गई कि उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल किए गए परिवाद में अन्य अपराधों के साथ-साथ दंड संहिता की धारा 395 के अधीन वर्णित अपराध का भी उल्लेख है। विचारण मजिस्ट्रेट ने यांत्रिक रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 452/323/34 के अधीन आरोप विरचित कर दिए। जिला और सेशन न्यायाधीश भी विचारण न्यायाधीश द्वारा घोर अन्याय किए जाने की अवेक्षा करने में असफल रहा। उच्च न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय की गलती को सही कर दिया। उच्च न्यायालय के इसी आदेश के विरुद्ध अभियुक्तों द्वारा यह अपील फाइल की गई है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 में यह आज्ञापक है कि किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने को प्रकट करने संबंधी सूचना के आधार पर किसी अपराध या किसी मामले को रजिस्टर करने के प्रक्रम पर संबंधित पुलिस अधिकारी इस बात की जांच का कार्य प्रारंभ नहीं कर सकता कि इत्तिलाकर्ता द्वारा दी गई सूचना विश्वसनीय और प्रामाणिक है अथवा नहीं और न ही इस आधार पर मामले को रजिस्टर करने से इनकार कर सकता है कि सूचना सुसंगत या विश्वसनीय नहीं है। दूसरे शब्दों में, संहिता की धारा 154 के अधीन किसी मामले को रजिस्टर करने के लिए ऐसी कोई पूर्व शर्त नहीं है कि वह सूचना भरोसे योग्य, प्रामाणिक और विश्वसनीय हो। वर्तमान मामले में परिवाद में प्रकटित संज्ञेय अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 448, 452, 323 और 395 के अधीन वर्णित अपराध थे। परिवाद उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल किया गया था और उसे संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर करने के लिए संबंधित पुलिस थाने के एस.एच.ओ. को पृष्ठांकित किया गया था। पुलिस थाने के संबंधित एस.एच.ओ. ने वह मामला केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 452/380/323/34 के अधीन

रजिस्टर किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 395 को, जिसको परिवाद में प्रकट किया गया था, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की परिधि से अपवर्जित कर दिया गया था और जिसके परिणामस्वरूप पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 और 157 के निबंधनों के अनुसार कोई अन्वेषण नहीं किया गया था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि दांडिक विचारण में, अन्वेषण लिखित रूप में की गई शिकायत के या अन्यथा अभियुक्त द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध को प्रकट करने के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट किए जाने पर किया जाता है। वर्तमान मामले में, संबंधित पुलिस थाने के एस. एच. ओ. द्वारा शिकायत अर्जी में प्रकटित अपराध के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर न करके न्याय की घोर हत्या की गई है। संबंधित पुलिस अधिकारी शिकायत-अर्जी में प्रकटित अपराध के आधार पर मामले को रजिस्टर करने के लिए और संहिता की धारा 156 और 157 के अधीन अंतर्विष्ट प्रक्रिया के निबंधनों के अनुसार अन्वेषण की कार्यवाही करने के लिए कानूनी रूप से आबद्धकर है। (पैरा 10 और 11)

अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसिल ने यह दलील दी कि परिवादी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 452/323/34 के अधीन विरचित आरोपों को चुनौती नहीं दी है। यह भी दलील दी गई कि अपीलार्थी पिछले चौदह वर्ष से दांडिक विचारण का सामना कर रहे हैं और यदि उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा सुपुर्दगी संबंधी कार्यवाहियां आरंभ की जाती हैं तो शीघ्र विचारण की कार्यवाही में बाधा आएगी और इससे संविधान के अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण होगा। निस्संदेह शीघ्र न्याय प्रदान किया जाना संविधान के अनुच्छेद 21 की अनिवार्यता है किंतु जब पुलिस अधिकारी द्वारा न्याय की घोर हत्या की जाए, जैसा कि वर्तमान मामले में उल्लेख किया गया है, तब मामलों के निपटारे में विलंब के आधार पर या अन्यथा घोर अन्याय नहीं होगा। (पैरा 13)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2006]

(2006) 2 एस. सी. सी. 677 :

रमेश कुमारी बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और अन्य)।

9

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2006 की दांडिक अपील सं. 1047.

2002 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 25173 में पटना उच्च न्यायालय के तारीख 8 अक्टूबर, 2002 के अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री त्रिपुरारी राय, राहुल शुक्ल, मनोज सक्सेना और प्रवीर चौधरी

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री गोपाल सिंह और अनुकूल सिंह

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एच. के. सेमा ने दिया।

न्या. सेमा – इजाजत दी जाती है।

2. यह अपील अभियुक्तों द्वारा, जिनकी संख्या नौ है (पटना) उच्च न्यायालय द्वारा पारित तारीख 8 अक्टूबर, 2002 के उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने संबंधित मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 में यथा अंतर्विष्ट विधि के अनुसार इस मामले में कार्यवाही करने का निदेश दिया था।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् काउंसिल तथा राज्य के विद्वान् लोक अभियोजक की दलीलों को सुना।

4. इस अपील में जो संविदा अंतर्वलित है वह संक्षेप में पूर्णतया विधि के प्रश्न का है और वर्तमान अपील फाइल जिस कारण अपील की गई उसके संपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

5. 1996 का परिवार मामला सं. 223 सी. इसमें के प्रत्यर्थी - योगेन्द्र प्रसाद द्वारा उप प्रभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकरहाना, मोतीहारी, जिला पूर्वी चम्पारन के समक्ष फाइल किया गया था; यह परिवार इस आशय का था कि तारीख 7 जून, 1996 को पूर्वाह्न में लगभग 6.00 बजे अभियुक्त लल्लन चौधरी, दीनबंधु चौधरी, संजीव कुमार उर्फ घुटन, लालबाबू प्रसाद, भोला शाह, नागेश्वर शाह, भागरित राउत, जोका माझी और सूरज राउत विधिविरुद्ध जमाव करके तथा लाठी, फट्टा, फरसा, नलकटवा और राइफल से लैस होकर परिवारी (शिकायतकर्ता) के निवास गृह में अवैध रूप से प्रविष्ट हुए और उन्होंने घरेलू वस्तुओं की लूटपाट की तथा परिवार की महिला सदस्यों के साथ छेड़खानी भी की। जब शिकायतकर्ता ने अभियुक्तों से इस बात की आपत्ति की तो अभियुक्त व्यक्तियों ने अपीलार्थी को थप्पड़, मुक्कों और फट्टों से बुरी तरह पीटा और उसे शारीरिक क्षति पहुंचाई। परिवार से यह बात भी प्रकट होती है कि अभियुक्त घरेलू

वस्तुओं को जिसमें, बर्तन, सोने के वस्तुएं, चांदी की वस्तुएं, पहनने के कपड़े आदि तथा नकदी लूट कर भाग गए। जो माल लूटा गया था उसका कुल मूल्य 19,000/-रुपए था जैसाकि परिवार में ब्योरा दिया गया है। उक्त परिवार में ही, जो कि उप प्रभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल किया गया था, धारा 147, 148, 149, 448, 452, 323 और 395 के अधीन किए गए अपराधों का उल्लेख किया गया था।

6. ऐसा प्रतीत होता है कि उप प्रभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने, जिसके समक्ष परिवार फाइल किया गया था, वह परिवार थानाध्यक्ष (एस.एच.ओ)-घोरासाहान; जिला पूर्वी चम्पारन को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर करने के लिए तथा उसमें अन्वेषण करने के लिए पृष्ठांकित कर दिया था। तथापि संबंधित पुलिस थाने के एस. एच. ओ. ने अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 452/380/323/34 के अधीन मामला रजिस्टर्ड किया। अतः पुलिस द्वारा आरोप पत्र केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 452/323/34 के अधीन प्रस्तुत किया गया। अतः इससे स्पष्ट रूप से यह प्रतीत होता है कि परिवार में दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 448 और 395 के अधीन प्रकटित अपराधों के लिए अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला रजिस्टर्ड नहीं किया गया था और पुलिस द्वारा कानून की पूर्वोक्त धाराओं की बाबत कोई अन्वेषण नहीं किया गया था और इस प्रकार घोर अन्याय कारित किया गया था।

7. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 इस प्रकार है :-

“154. संज्ञेय मामलों में इत्तिला - (1) संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निदेशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित इत्तिला की प्रतिलिपि, इत्तिला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी।

(3) कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा (1) में निर्दिष्ट इत्तिला की अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है, ऐसी इत्तिला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तिला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो, या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण किए जाने का निदेश देगा और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी।”

8. इस प्रकार संहिता की धारा 154 के अधीन पुलिस अधिकारी को परिवाद में यथा प्रकटित मामला रजिस्टर करने के लिए और तत्पश्चात् अन्वेषण की कार्यवाही करने के लिए कानूनी रूप से कर्तव्यबद्ध किया गया है। धारा 154 की आज्ञा बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने कि कोई सूचना पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है तो उस पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसी सूचना के आधार पर मामला रजिस्टर करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं रहता।

9. रमेश कुमारी बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र) और अन्य¹ वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 154 का उपबंध आज्ञापक है। अतः, संबद्ध पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध के किए जाने को प्रकट करने संबंधी सूचना के प्राप्त होने पर मामले को रजिस्टर करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। किसी मामले को रजिस्टर करने के लिए ऐसी कोई पूर्व शर्त नहीं है कि सूचना प्रामाणिक या विश्वसनीय होनी चाहिए। उस बाबत विचार मामले को रजिस्टर किए जाने के पश्चात् किया जा सकता है।

10. संहिता की धारा 154 में यह आज्ञापक है कि किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने को प्रकट करने संबंधी सूचना के आधार पर किसी अपराध या किसी मामले को रजिस्टर करने के प्रक्रम पर संबंधित पुलिस अधिकारी इस बात की जांच का कार्य प्रारंभ नहीं कर सकता कि इत्तिलाकर्ता द्वारा दी गई सूचना विश्वसनीय और प्रामाणिक है अथवा नहीं और न ही इस आधार पर मामले को रजिस्टर करने से इनकार कर सकता

¹ (2006) 2 एस. सी. सी. 677.

है कि सूचना सुसंगत या विश्वसनीय नहीं है। दूसरे शब्दों में, संहिता की धारा 154 के अधीन किसी मामले को रजिस्टर करने के लिए ऐसी कोई पूर्व शर्त नहीं है कि वह सूचना भरोसे योग्य, प्रामाणिक और विश्वसनीय हो।

11. वर्तमान मामले में, निर्विवाद रूप से, परिवार में प्रकटित संज्ञेय अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 448, 452, 323 और 395 के अधीन वर्णित अपराध थे। परिवार उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल किया गया था और उसे संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर करने के लिए संबंधित पुलिस थाने के एस.एच.ओ. को पृष्ठांकित किया गया था। पुलिस थाने के संबंधित एस.एच.ओ. ने वह मामला केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 452/380/323/34 के अधीन रजिस्टर किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 395 को, जिसको परिवार में प्रकट किया गया था, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की परिधि से अपवर्जित कर दिया गया था और जिसके परिणामस्वरूप पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 और 157 के निबंधनों के अनुसार कोई अन्वेषण नहीं किया गया था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि दांडिक विचारण में, अन्वेषण लिखित रूप में की गई शिकायत के या अन्यथा अभियुक्त द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध को प्रकट करने के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट किए जाने पर किया जाता है। वर्तमान मामले में, संबंधित पुलिस थाने के एस. एच. ओ. द्वारा शिकायत अर्जी में प्रकटित अपराध के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर न करके न्याय की घोर हत्या की गई है। संबंधित पुलिस अधिकारी शिकायत-अर्जी में प्रकटित अपराध के आधार पर मामले को रजिस्टर करने के लिए और संहिता की धारा 156 और 157 के अधीन अंतर्विष्ट प्रक्रिया के निबंधनों के अनुसार अन्वेषण की कार्यवाही करने के लिए कानूनी रूप से आबद्धकर है। पुलिस द्वारा रजिस्टर की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अधीन के अपराध की शिकायत का जानबूझकर लोप किया गया था, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अधीन वर्णित अपराध के लिए किसी प्रकार का कोई अन्वेषण नहीं किया गया था।

12. दुर्भाग्यवश विचारण मजिस्ट्रेट इस बात की अवेक्षा करने में असफल रहा है कि उप प्रभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल की गई शिकायत में अन्य अपराधों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अधीन वर्णित अपराध को प्रकट किया गया है। विचारण मजिस्ट्रेट ने विवेक का प्रयोग किए बिना भारतीय दंड संहिता की धारा 452/323/34 के अधीन यांत्रिक रूप से विरचित आरोप को स्वीकार कर लिया। जिला और सेशन न्यायाधीश भी

विचारण न्यायाधीश द्वारा न्याय की हत्या किए जाने की अवेक्षा करने में असफल रहा। हमारी राय में, इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा दोनों निचले न्यायालयों द्वारा की गई गलती को उचित तौर पर सही किया है। अतः हमारे मतानुसार, उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

13. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल त्रिपुरारी राय ने यह दलील दी कि परिवादी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 452/323/34 के अधीन विरचित आरोपों को चुनौती नहीं दी है। यह भी दलील दी गई कि अपीलार्थी पिछले चौदह वर्ष से दांडिक विचारण का सामना कर रहे हैं और यदि उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा सुपुर्दगी संबंधी कार्यवाहियां आरंभ की जाती हैं तो शीघ्र विचारण की कार्यवाही में बाधा आएगी और इससे संविधान के अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण होगा। निस्संदेह शीघ्र न्याय प्रदान किया जाना संविधान के अनुच्छेद 21 की अनिवार्यता है किंतु जब पुलिस अधिकारी द्वारा घोर अन्याय किया जाए, जैसा कि वर्तमान मामले में उल्लेख किया गया है, तब मामलों के निपटारे में विलंब के आधार से या अन्यथा घोर अन्याय नहीं होगा। इसी प्रकार हमारा यह मत है कि इस मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए स्वयं अभियुक्त ही विलंब, यदि कोई हो, के दोषी ठहराए जाने चाहिए।

14. जहां तक अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की इस दलील का संबंध है कि परिवादी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अधीन आरोप विरचित न किए जाने को चुनौती नहीं दी है, उसका अभिलेख से पता नहीं चलता है। वास्तव में, विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अधीन आरोप को बदलने के लिए आवेदन विचारण मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 के अधीन फाइल किया गया था, जिसे कि विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा नामंजूर कर दिया गया जो कि हमारे मतानुसार गलत तौर पर किया गया था।

15. हमारे द्वारा जो मत अपनाया गया है उसको देखते हुए हमें उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती जिसके कारण कि उसमें हस्तक्षेप किया जाए। अपील में कोई सार नहीं है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

अपील खारिज की गई।